



दिनांक 09.09.2015

## आधिसूचना

यू.जी.सी.के 12वीं योजना गाइड लाइन्स फोर ऑटोनोमस  
कॉलेज IV के अनुसार स्वशासी व्यवस्था के अन्तर्गत एन.द. द्वारा  
निम्न प्रकार से विद्या परिषद का गठन किया जाता है। विद्या परिषद  
के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा —

- 1- डॉ. एम. एल. प्रभाकर — प्राचार्य एवं अध्यक्ष
- 2- डॉ. भार. एस. दौंगी — विभागाध्यक्ष हिन्दी, सदस्य
- 3- डॉ. जी. के. श्रीवास्तव — " " कान्ठी, सदस्य
- 4- डॉ. एस. सी. कौशिक — " " भौतिकी / कम्प्यूटर साइंस, सदस्य
- 5- डॉ. एस. के. मिश्रा — " " रसायन, सदस्य
- 6- डॉ. (श्रीमती) जयश्री त्रिवेदी — " " राजनीतिशास्त्र, सदस्य
- 7- डॉ. ए. के. गुप्ता — " " अर्थशास्त्र, सदस्य
- 8- डॉ. एस. एस. गौतम — " " संस्कृत, सदस्य
- 9- डॉ. एम. पी. शर्मा — " " अंग्रेजी, सदस्य
- 10- प्रो. अभय राहुल — " " प्राणीशास्त्र, सदस्य
- 11- प्रो. सी. एस. यादव — " " गणित, सदस्य
- 12- प्रो. (श्रीमती) पुष्पा गहोई — " " इतिहास, सदस्य
- 13- डॉ. शक्तिान्त अदालतवाले — " " समाजशास्त्र, सदस्य
- 14- डॉ. एम. एस. सिखोदिया — " " भूगोल, सदस्य
- 15- डॉ. रतन सुर्यवंशी — " " वाणिज्य, सदस्य
- 16- डॉ. आर. एन. वर्मा — सदस्य, प्राचार्य द्वारा मनोनीत
- 17- प्रो. संजय श्रीवास्तव — सदस्य, प्राचार्य द्वारा मनोनीत
- 18- डॉ. सीमा माथेष्ट सिंह — सदस्य, प्राचार्य द्वारा मनोनीत
- 19- डॉ. प्रतिभा पाण्डेय — सदस्य, प्राचार्य द्वारा मनोनीत
- 20- डॉ. हेमन्त गौतम — सदस्य, शासी निःकाय द्वारा मनोनयन की प्रत्याशा में
- 21- श्री प्रेम लाल मिश्रा एडवोकेट — सदस्य, शासी निःकाय द्वारा मनोनयन की प्रत्याशा में
- 22- श्री अशोक अग्रवाल — सदस्य, शासी निःकाय द्वारा मनोनयन की प्रत्याशा में
- 23- कार्यपालन यंत्री लो. नि. वि. — सदस्य, शासी निःकाय द्वारा मनोनयन की प्रत्याशा में
- 24- प्रो. डी. सी. तिवारी — सदस्य, विश्वविद्यालय द्वारा मनोनीत

भौतिकी अध्ययनशाला  
जीवाजी वि. वि. दतिया


25- प्री. अशोक शर्मा — सदस्य, वि. वि. द्वारा मनोनीत  
समाग कार्य अध्ययनशाला


जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

26- प्रो. ओ. पी. मिश्रा — सदस्य, वि. वि. द्वारा मनोनीत  
गणित अध्ययनशाला

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

27- डॉ. आर. बी. गुप्ता (प्राध्यापक) — सदस्य, विशेष आमंत्रित  
नियंत्रक

  
डॉ. एम. एस. गोतम  
अकादमिक सचिव

  
डॉ. एम. एस. प्रभाकर  
प्राचार्य व मुख्य नियंत्रक




# विद्यापीठ की बैठक का प्रस्ताव

प्रस्ताव	व्याख्या
1- विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि।	अकादमिक सचिव डॉ. एम. एम. जीतम द्वारा परिषद् के सदस्यों को विगत बैठक की कार्यवाही पढ़कर सुनाई गई तदुपरान्त परिषद् ने ध्वनिमत से कार्यवाही की पुष्टि की।
2- अध्ययन-मण्डलों द्वारा पारित पाठ्यक्रमों का अनुमोदन।	परिषद् ने अध्ययन-मण्डल द्वारा पारित प्रस्तावित पाठ्यक्रमों पर चर्चा उपरान्त अनुमोदन किया।
3- परीक्षा समिति तथा अध्ययन-मण्डलों द्वारा पारित सी सी ई / अकादमिक कैलेण्डर व परीक्षा सम्बन्धी नियमों पर विचार एवं अनुमोदन।	परीक्षा समिति तथा अध्ययन-मण्डल द्वारा पारित सी सी ई / अकादमिक कैलेण्डर पर गहन विचार-विमर्श हुआ तदुपरान्त मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग कोषाल के शैक्षणिक कैलेण्डर अनुसार ही महाविद्यालय का वार्षिक अकादमिक कैलेण्डर रखा जाये।
4- स्नातक / स्नातकोत्तर संकायों की कक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त छात्र / छात्राओं को प्रमाणपत्र व शील्ड प्रदान करने विषयक।	विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि महा-विद्यालय को स्वशासी का दर्जा प्राप्त है और विगतवर्ष से परास्नातक कक्षाओं में स्वशासी व्यवस्था संचालित होने के कारण विश्वविद्यालय स्तर पर महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को मैडल एवं प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हो पाते, ऐसी स्थिति में स्थानीय स्तर पर छात्र / छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए सत्रवार प्रत्येक मैडल प्रदान किये जायें।

# निम्नानुसार है -



प्रस्ताव	विवरण
<p>5- स्नातक सभी संकायों में टॉपर व स्नातकोत्तर सभी संकायों में उच्चतम अंकहारा / छात्राओं को प्रमाण-पत्र व शील्ड प्रदान करने विषयक।</p>	<p>विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि स्नातक एवं परा स्नातक स्तर पर सभी संकायों में से कुच्चतम अंक प्राप्त छात्र / छात्राओं को संकायों में टॉपर का प्रमाणपत्र एवं शील्ड प्रदान किया जाये।</p>
<p>6- विशालीय सेमिनार / संगोष्ठी व प्रायोगिक कार्य हेतु सामग्री क्रय करने विषयक आवंटन सम्बन्धी प्रस्तावों पर चर्चा एवं अनुमोदन।</p>	<p>प्रस्ताव पर वृहद्-चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि विभिन्न एउ विषय में राष्ट्रीय शोध-संगोष्ठी कराई जाये एतदर्थ विभागों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायें। शोध संगोष्ठी मार्च 2016 से पूर्व करा ली जाये। स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के छात्र / छात्राओं के लाभार्थ पाठ्यक्रम से सम्बन्धित वाह्य विद्वानों से व्याख्यान कराये जायें। व्याख्यान-माला की व्यवस्था केन्द्रीयकृत है। प्रायोगिक विषयों के लिए प्रयोगशाला में उपयोग होने वाली सामग्री का क्रय भी बजट-अनुसार कराया जाये।</p>
<p>7- शोध-प्रोत्साहन हेतु सूक्ष्म शोध-परियोजना स्वीकृत करने विषयक।</p>	<p>विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि शोध-प्रोत्साहन के लिए महाविद्यालय की तीनों संकायों (कला, विज्ञान, वाणिज्य) से एक-एक सूक्ष्म शोध-परियोजना कराई जाये। परियोजना-कथन हेतु महाविद्यालय स्तर पर समिति का गठन किया जाये, उसी अनुशंसा पर सूक्ष्म शोध-परियोजना का-कथन हो। यह शोध-परियोजना सहायक प्राध्यापकों के लिए है क्योंकि यूजीसी से लघु एवं वृहद् परियोजना संचालित होती हैं, जिन्हे प्रस्ताव यूजीसी समय-समय पर गेगवाना है।</p>



प्रस्ताव

वहाराय

8- अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से।

अन्य कोई विषय न होने के कारण डॉ० आर. पी. गुप्ता परीक्षा नियंत्रक द्वारा आभार व्यक्त किया गया एवं बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

~~डा०~~  
शुभाशोक

Seen  
[Signature]

दिनांक - 15-09-2015


अकादमिक गतिविधियों एवं महाविद्यालय विकास हेतु  
वित्तीय प्रावधान


अकादमिक गतिविधियों एवं महाविद्यालय विकास हेतु वित्तीय प्रावधान विद्या परिषद् के अनुमोदन हेतु निम्नानुसार हैं जिन्हें बाद में कित्त समिति को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा -

- 1- प्रचार्य व मुख्य परीक्षा नियंत्रक विवेकाधीन निधि — 40,000,00
- 2- व्याख्यान माला हेतु आवंटन  $8000 \times 14$  — 1,12,000,00
- 3- बैठक - व्यवस्थाओं एवं आकस्मिक व्ययों हेतु — 50,000,00
- 4- प्रायोगिक कार्यों के लिए प्रयोगशालाओं को उपभोग्य व अन्य सामग्री क्रय हेतु —
  - अ - रसायनशास्त्र — 30,000,00
  - ब - वनस्पतिशास्त्र — 30,000,00
  - स - प्राणीशास्त्र — 30,000,00
  - द - भौतिकशास्त्र — 30,000,00
  - इ - भूगोल — 20,000,00
  - ई - विविध विभाग — 50,000,00
- 5- राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी ( किसी एक विषय / संज्ञय में ) — 2,00,000,00
- 6- सूक्ष्म शोध परियोजना हेतु प्रति संज्ञय  $20000 \times 3$  — 60,000,00

महायोग - 6,52,000,00

नोट - विभिन्न मदों में वास्तविक व्ययों के कम या अधिक होने पर अन्तर्गत समायोजन किया जा सकेगा।

  
( डॉ. एस. एस. गोपाल )  
अकादमिक सचिव

  
( डॉ. एम. एम. प्रभाकर )  
प्रचार्य एवं अध्यक्ष, विद्या परिषद्